



(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटीती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(षोडश बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र)

फरवरी-मार्च, 2020 की कार्यसूची

(खण्ड-05)

दिनांक 16 मार्च, 2020

माँग संख्या - 09

आय-व्ययक शीर्षक - सहकारिता विभाग

82. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "सहकारिता विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 11,68,38,14,000/- (ग्यारह अरब अड़सठ करोड़ अड़तीस लाख चौदह हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 83-87. श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री रामदेव राय, श्री मो० नेमातुल्लाह एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 40

आय-व्ययक शीर्षक - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

88. प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 9,37,94,14,000/- (नौ अरब सैंतीस करोड़ चौरानवे लाख चौदह हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 89-93. श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री रामदेव राय, श्री मो० नेमातुल्लाह एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 23

आय-व्ययक शीर्षक - उद्योग विभाग

94. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "उद्योग विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 9,15,84,96,000/- (नौ अरब पन्द्रह करोड़ चौरासी लाख छियानवे हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 95-98. श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री मो० नेमातुल्लाह एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 43

आय-व्ययक शीर्षक - विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

99. प्रभारी मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 3,36,49,86,000/- (तीन अरब छत्तीस करोड़ उन्चास लाख छियासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

100-103. श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री मो० नेमातुल्लाह एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की विज्ञान एवं प्रावैधिकी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव

बिहार विधान सभा, पटना।

कटीती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2020-

1145

/वि०स०, पटना, दिनांक- 13 मार्च, 2020 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(भूदेव राय)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2020-

1145

/वि०स०, पटना, दिनांक- 13 मार्च, 2020 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित।

(भूदेव राय)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2020-

1145

/वि०स०, पटना, दिनांक- 13 मार्च, 2020 ई०।

प्रति:- सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पॉच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(भूदेव राय)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।